



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.10.2025

1.थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ गैंगस्टर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।
कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25/10/2025 को थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से अवैध शस्त्र के साथ गैंगस्टर अभियुक्त विपिन वाल्मिकी पुत्र कमल को बिजली घर सेक्टर-33(ए) के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--विपिन वाल्मिकी पुत्र कमल निवासी ग्राम मोरना, सेक्टर-35, थाना सेक्टर-24, नोएडा उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 470/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 741/2020 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 510/2018 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 696/2020 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 698/2020 धारा 307/34/482 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 699/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 498/2022 धारा 354/504 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 537/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 171/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 248/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 333/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0 630/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0 597/2020 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-58, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0 018/2016 धारा 342/395/397/412/427 भादवि थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
15. मु0अ0सं0 143/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

कब्जे से एक अवैध चाकू।

2. थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.10.2025 को थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मोबाइल छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त 1.राजेश पुत्र राजकुमार 2. अजय पुत्र राजकिशोर को जुबलियेंट पार्क बी ब्लॉक सेक्टर-58 के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से छिनैती किए हुए 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं ।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर बरामद मोबाइल फोन मोटोरोला को करीब 02 माह पहले अग्रवाल चौराहे के पास सेक्टर-57 नोएडा से, मोबाइल पोको को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी किया था। बरामद मोबाइल फोन मोटोरोला के संबंध में थाना सेक्टर-58 पर मु0अ0सं0-320/2025 पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राजेश पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम व थाना मुसीदाबाद, गंगारामपुर (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता ग्राम चौडा, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 20 वर्ष ।
2. अजय पुत्र राजकिशोर निवासी गुलरिया थाना दिवियापुर, औरैया वर्तमान पता ग्राम चौडा, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 25 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

⇓ (अभियुक्त राजेश)--

1. मु0अ0सं0- 388/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 320/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 435/2019 धारा 457, 380, 411 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 548/2019 धारा 392, 411 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 892/2019 धारा 379, 411 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0- 933/2019 धारा 392, 411 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0- 934/2019 धारा 414 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0- 568/2021 धारा 60/63 आबकारी एक्ट, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0- 367/2022 धारा 411, 414 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0- 089/2024 धारा 379, 411 भादवि, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0- 090/2024 धारा 379, 411, 414, 413, 482 भादवि व 9 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0- 503/2022 धारा 379, 411 भादवि, थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

⇓ (अभियुक्त अजय--

1. मु0अ0सं0- 388/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 320/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

छिनैती किए हुए 02 मोबाइल फोन

3. थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का विवरण-- दिनांक 15.10.2025 को थाना रबूपुरा क्षेत्र के अंतर्गत अभियुक्तगण द्वारा मजरुब 1. सुमित कुमार पुत्र लेखराज 2. अनिकेत पुत्र सतीश निवासी गण कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में पीड़ित सुमित कुमार के भाई की तहरीर के आधार पर थाना रबूपुरा पर मु0अ0सं0 230/2025 धारा 191(2)/190/115(2)/352/109/309(4) बीएनएस व 3(1)(द) /3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था। मारपीट में घायल मजरुब अनिकेत पुत्र सतीश को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 24.10.25 को मृत्यु हो गई थी। मजरुब अनिकेत की मृत्यु के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 109 बीएनएस को धारा 103(2) बीएनएस में तरमीम किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.10.2025 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रचित पुत्र बॉबी को खेड़ा अण्डरपास के पास सर्विस रोड़ से गिरफ्तार किया गया है। थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 19.10.2025 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद 02 अभियुक्त 1. युवराज मीणा पुत्र पप्पू मीणा 2. जितू मीणा पुत्र जुगेन्द्र मीणा निवासी गण कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों का गठन किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

रचित पुत्र बॉबी निवासी कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. युवराज पुत्र पप्पू निवासी कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।
2. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र जोगेन्द्र निवासी कस्बा व थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 230/2025 धारा 191(2)/190/115(2)/352/103(2)/309(4) बीएनएस व 3(1)(द)/3(1)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना रबूपुरा, गौतमबुद्धनगर।